द्वारा ई–मेल / डाक

# राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

प्लाट नं. 6, एवरेस्ट कॉलोनी, एपेक्स मॉल के पास, लाल कोठी, जयपुर।
Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804, 2988946

क्रमांकः / पैरामेडि.कौं / मान्यता / 2020 / 12 — दिनांक : 27/01/2021

सचिव / अध्यक्ष / निदेशक,
समस्त मान्यता प्राप्त निजी पैरामेडिकल कॉलेज / संस्थान
राजस्थान।

**विषय** :– कॉलेज / संस्थान के भवन संबंधित जानकारी के क्रम में।
**संदर्भ** :– क्रमांकः / पैरामेडि.कौं / मान्यता / 2020 / 113 दिनांक 08.12.**2020**

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल अधिनियम 2008 की धारा 28(4) के अन्तर्गत आपके पैरामेडिकल कॉलेज / संस्थान को कौंसिल द्वारा पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किये जाने की मान्यता प्रदान की गई थी।

इस संबंध में आपका ध्यान राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल विनियम 2014 के Part XV Rule 53 (1)A के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो निम्न प्रकार उद्धरित है–

" **Building**: Institute shall have prefereably its own building. Whereas to start with, a rented building may be permitted for a period of maxmum 5 Years on submission of a registered rent agreement,"

इस प्रकार उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत यह स्पष्ट है कि किराये के भवन में कॉलेज / संस्थान का संचालन मान्यता प्रदान किये जाने की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक अनुमत किया जा सकता है। तदुपरान्त कॉलेज / संस्थान को उनके स्वंय के स्वामित्व के भवन में स्थानान्तरित कर वहॉ संचालित किया जाना आवश्यक होगा।

अतः समस्त कॉलेज / संस्थान संचालकों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर लेवें, अन्यथा मान्यता प्राप्ति के 5 वर्ष समाप्ति के उपरान्त उनके स्वंय के भवन में कॉलेज / संस्थान स्थापित नहीं होने की स्थिति में उनके कॉलेज / संस्थान की पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु कौंसिल द्वारा जारी मान्यता समाप्त किये जाने के प्रकरण पर विचार किया जावेगा। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित कॉलेज / संस्थान संचालक की होगी।

यह सार्वजनिक सूचना समस्त मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल कॉलेज / संस्थान संचालको के हित में एतद् द्वारा जारी की जाती है।

अतः सूचना संलग्न प्रारुप में हार्ड कॉपी व सॉफ्ट कॉपी में मय संबंधित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति के 07 दिवस में पुनः कौंसिल को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। सूचना निर्धारित अवधि में प्राप्त न होने पर आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी।

**नोट :– जिन कॉलेजो / संस्थानों द्वारा सूचना उपलब्ध करवा दी हो तो पुनः प्रेषित न करें।**
**संलग्न :– प्रारूप।**

(उत्तम सिंह शेखावत)
रजिस्ट्रार

क्रमांकः / पैरामेडि.कौं / मान्यता / 2020 / 12 — दिनांक · 27/01/2021

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर।
3. अध्यक्ष, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
4. प्रभारी, सर्वर रूम को भिजवाकर लेख है कि इस सूचना को समस्त कॉलेजों / संस्थानों में ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करावें तथा विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशित करावें।
5. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार

सूचना का विवरण :–

| कॉलेज/इन्स्टीट्यूट का नाम | मान्यता दिनांक | स्वंय का भवन/किराये पर | | सोसायटी/ट्रस्ट का भवन | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | YES (मालिक का नाम) | NO (किराया धारक का नाम) | YES (सोसायटी/ट्रस्ट का नाम) | NO |
| | | | | | |